

उमाजीत दायाल डिप्टी

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

3

(ओ 20 रूल 6-7 जाबा दीवानी)

अज अदालत उपजिला कलक्टर मुकाम टोडाभीम
इजलास जागाडीवा कास R.A.S

उतवान

श्री पति प्रभुदयाल
श्री पुत्र शोभाजी
श्री वैश्या निवासी
मालपुरा तह चोडाभीम
(वाडीवाण)
मला - करौली

बनाम

1 श्रीमन पुत्र गोण्डिया
2 भरोली पुत्र सम्पत्ता
3 श्रीमसाव पुत्र मोरी लाल
जाति वैश्या निवासी कमालपुरा
तह चोडाभीम (पुतिवाडीवाण)
जिला - करौली

स्वाधी निवेद्यात्री

मुकदमा नं० 70 सन् 1944

मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई स्वई श्री श्रीवाच्य श्री उदयेश्वर व हाजिरी
प्रमाण श्री उदयेश्वर पुतिवाडीवा निनकानिब गुई स्वस्व हमार
मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

दावा वाडी बिसाल पुतिवाडीवाण डिप्टी किमा जाला है।
पुतिवाडीवाण को स्वाधी निवेद्यात्री से पाषण्ड किमा जाला
कि ग्राम कमालपुरा की कमी नं० नं० 623 वकफा
उदयेश्वर व दिवसा पुतिवाडीवाण के कफे कछल में
मजाहर, मदाशवल नदी को।

मुबलिया बावत खर्चा इस मुकदमे के मय
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक

का अदा करे।
रस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख माह सन्



मुहर

काब प्रतिलिपि

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)
दस्तखत ओहदा

रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
		स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिशनर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
		मीजान		

नोट : इस खर्चा के फर्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखया गया हो या नहीं दर्ज कराना चाहिए।

